रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2008/आषाढ़ 5, 1930

No. 352] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2008/ASADHA 5, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2008

सा.का.नि. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 मे,—

अनुसूची I में, क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानदण्ड	
1	2	3	4	
"100	साझा खतरनाक अपशिष्ट भष्मीकरण संयंत्र	क. उत्सर्जन		
			जब तक उल्लेखित न हो, सांद्रण सीमा मि.ग्रा./घन मी. में	जब तक उल्लेखित न हो, प्रबोधन अवधि (मिनट) में
		विविक्त पदार्थ	50	30
		HCl	50	30
		HO_2	200	30
		CO	100	30
			50	24 घंटे
		कुल आरगेनिक कार्बन	20	30
		HF	4	30
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NO और NO_2 को NO_2 के रूप में व्यक्त)	400	30
		कुल डाइऑक्सीन्स और फुरान्स	0.1 ng/TEQ/Nm^3	8 घंटे
		Cd + Th + उनके यौगिक	0.05	2 घंटे
		पारद और इसके यौगिक	0.05	2 घंटे
		Sb + As + Pb + Co + Cr + Cu + Mn + Ni + V + उनके यौगिक	0.50	2 घंटे

1	2	3	4
		टिप्पण : (i) सभी प्रबोधित मानों की सांद्रता को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर संशोधित किया जाए । (ii) उत्सर्जित गैंस में कार्बनडाईआक्साईड सांद्रण 7% से कम नहीं होगी । (iii) भष्मीकरण संयंत्र में भष्मीकरण हेतु अपशिष्ट में हेलोजिनेट आरगेनिक अपशिष्ट वजन में 1 प्रतिशत से कम होने की दशा में, सेकेन्ड्री कम्बशन चैम्बर में 950°C के न्यूनतम तापमान को प्राप्त करने के लिए ट्विन चैम्बर भट्टी की सभी सुविधाओं को डिजाइन किया जाएगा और सेकेन्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय 2 (दो) सेकेण्ड से कम न हो । (iv) अपशिष्ट में भष्मीकरण संयंत्र में भष्मीकरण हेतु हेलोजिनेट आरगेनिक अपशिष्ट, वजन में 1 % से अधिक होने की दशा में केवल ट्विन चेम्बर भट्टी में भष्मीकरण किया जाएगा तथा सेकेन्डरी कम्बशन चेम्बर में गैस अवरोधक समय 2 (दो)सेकेण्ड से कम न हो, के साथ सेकण्ड्री कम्बशन चेम्बर में 1100°C का न्यूनतम तापमान प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाएं डिजाइन की जाएंगी। (v) भष्मीकरण कक्षों (कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ चलाया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भष्मीकरण राख में कुल ऑर्गेनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3 % से कम हो अथवा इसके भष्मीकरण क्षय की मात्रा शुष्क आधार पर 5% से कम हो ।	

[फा. सं. क्यू-15017/95/2000-सी पी डब्ल्यू]

सुधीर मितल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र मे का.आ. 844(अ) तारीख, 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 433(अ) तारीख, 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ) तारीख, 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ) तारीख, 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12(अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742(अ) तारीख, 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23(अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95(अ) तारीख, 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ) तारीख, 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475(अ) तारीख, 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797(अ) तारीख, 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386(अ) तारीख, 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ) तारीख, 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801(अ) तारीख, 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ) तारीख, 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ) तारीख, 20

अगस्त, 1998, और सा.का.नि. 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ) तारीख, 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ) तारीख, 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ) तारीख, 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ) तारीख, 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ) तारीख, 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ. 1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ) तारीख, 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ) तारीख, 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ) तारीख, 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448(अ) तारीख, 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520(अ) तारीख, 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ) तारीख, 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ) तारीख, 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ) तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ) तारीख, 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464(अ) तारीख, 7 अगस्त, 2006 और सा.का.नि. 566(अ) तारीख, 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704(अ) तारीख, 12 नवम्बर, 2007 सा.का.नि. 186(अ), दिनांक 18 मार्च, 2008 सा.का.नि. 280(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 7 मई, 2008 और सा.का. नि. 414 (अ), दिनांक 30.05.2008 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2008

G.S.R. 481(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-

In Schedule I, after serial number 99 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

S. No	Industry	Parameter	Standard	
1	2	3	4	
"100	Common Hazardous Waste Incinerator	**A. Emission**		
			Limiting concentration in mg/Nm3, unless stated	Sampling Duration in (minutes) unless stated
		Particulate Matter	50	30
		HCl	50	30
		SO_2	200	30
		CO	100	30
			50	24 hours
		Total Organic Carbon	20	30
		HF	4	30
		NOx (NO and NO_2 expressed as NO_2)	400	30
		Total dioxins and furans	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 hours
		Cd + Th + their compounds	0.05	2 hours
		Hg and its compounds	0.05	2 hours
		Sb +As + Pb + Co +Cr +Cu+Mn + Ni + V + their compounds	0.50	2 hours

Notes :

i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

ii. The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in twin chamber incinerаters shall be designed to achieve a minimum temperature of 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds.

iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two seconds).

v. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight.

[F. No. Q-15017/95/2000-CPW]

SUDHIR MITAL, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992 G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422 (e) dated the 19TH May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated 12th August, 2004, G.S.R. 272 (E) dated 5th May, 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May, 2005, G.S.R. 546 (E) dated 30th August, 2005, G.S.R. 46 (E) dated 3rd February, 2006, G.S.R. 464 (E) dated 7th August, 2006 and G.S.R. 566 (E) dated 29th August, 2007 and G.S.R. 704 (E) dated 12th November, 2007, G.S.R. 186 (E) dated 18th March, 2008, G.S.R. 280 (E) dated 5th April, 2008, G.S.R. 344 (E) dated 7th May, 2008 and G.S.R. 414 (E) dated 30th May, 2008.